भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2163**

उत्तर देने की तारीख 9 दिसंबर, 2024

सोमवार, 18 अग्रहायण 1946 (शक)

**कौशल विकास केन्द्र**

**2163. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति:**

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में प्रचालनशील कौशल विकास केन्द्रों (एसडीसी) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान एसडीसी के माध्यम से प्रशिक्षित होने वाले लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् रोजगार प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान एसडीसी के कार्यकरण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि निर्धारित और व्यय की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने एसडीसी में कौशल विकास प्रशिक्षण और नियोजन प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र के उद्योगों के साथ सहयोग किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से राजस्थान राज्य सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करना है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उद्योग से संबंधित कौशल युक्त करना है। इन स्कीमों के अंतर्गत प्रशिक्षण केन्द्रों और प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-I पर दिया गया है।

(ग) एमएसडीई की स्कीमों में से, पहले तीन चरणों अर्थात पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 में केवल अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक में नियोजन को विशेष रूप से ट्रैक किया गया था, जिसे वित्त-वर्ष 2015-16 से वित्त-वर्ष 2021-22 तक लागू किया गया था। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार उम्मीदवारों की संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपने विविध कैरियर पथ चुनने के लिए सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और उन्हें इसके लिए उपयुक्त रूप से उन्मुख किया जाता है। इसके अलावा, स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) जैसे विभिन्न आईटी उपकरण भी यह अवसर प्रदान करते हैं।

(घ) पीएमकेवीवाई और जेएसएस स्कीम के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण लागत को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि जारी की जाती हैं। विशेष तीन वर्षों के दौरान पीएमकेवीवाई और जेएसएस के तहत जारी की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है। एनएपीएस के तहत, प्रतिष्ठानों को वृत्तिका सहायता के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। सीटीएस स्कीम आईटीआई और दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है और आईटीआई के संबंध में वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास होता है।

(ङ) और (च): एमएसडीई की स्कीमों के तहत पेश किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम बाजार-मांगों को ध्यान में रखते हुए उद्योगों के सहयोग से विकसित किए जाते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा संबंधित क्षेत्रों में अग्रणी उद्योगपतियों के नेतृत्व में 36 क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) की स्थापना की गई है, जिन्हें संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल अर्हता मानकों को निर्धारित करने का दायित्व सौंपा गया है।

प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) फ्लेक्सी एमओयू स्कीम और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) को लागू कर रहा है। इन पहलों का उद्देश्य औद्योगिक वातावरण में आईटीआई छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे (एनएसक्यूएफ़) से जुड़े पाठ्यक्रमों में ऑन जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) और रोजगार कौशल के घटक भी शामिल हैं। डीजीटी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों के तहत राज्य और क्षेत्रीय स्तरों पर संस्थानों के लिए उद्योग संबंध सुनिश्चित करने के लिए आईबीएम, सीआईएससीओ, फ्यूचर स्किल राइट्स नेटवर्क (पूर्ववर्ती क्वेस्ट अलायंस), अमेज़न वेब सर्विसेज (एडबल्यूएस) और माइक्रोसॉफ्ट जैसी आईटी टेक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एनएसडीसी, बाजार आधारित कार्यक्रम के तहत, प्रशिक्षण प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है जो उद्योग-मांग के साथ कौशल पाठ्यक्रमों को सहयोग और संरेखित करते हैं।

एनएपीएस के तहत सरकार ने निजी क्षेत्र के उद्योगों के साथ सहयोग किया है और शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और इसे शुरू करने के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ जुड़ाव बढ़ाया है। शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए लगे निजी क्षेत्र के उद्योगों की संख्या 28,17,706 (वित्त वर्ष 2018-19 से 31 अक्टूबर 2024 तक) है।

**अनुबंध- I**

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या (टीसी) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | पीएमकेवीवाई | जेएसएस | एनएपीएस* | सीटीएस^ |
| अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 5 | 1 | 15 | 4 |
| आंध्र प्रदेश | 365 | 6 | 1097 | 522 |
| अरुणाचल प्रदेश | 80 | - | 22 | 7 |
| असम | 697 | 6 | 923 | 47 |
| बिहार | 512 | 21 | 505 | 1381 |
| चंडीगढ़ | 9 | 1 | 153 | 2 |
| छत्तीसगढ | 170 | 14 | 303 | 232 |
| दिल्ली | 138 | 3 | 5768 | 54 |
| गोवा | 6 | 1 | 473 | 13 |
| गुजरात | 254 | 8 | 12040 | 511 |
| हरियाणा | 483 | 2 | 5689 | 387 |
| हिमाचल प्रदेश | 166 | 11 | 703 | 273 |
| जम्मू और कश्मीर | 447 | 1 | 517 | 50 |
| झारखंड | 194 | 13 | 418 | 351 |
| कर्नाटक | 359 | 12 | 2260 | 1505 |
| केरल | 122 | 9 | 1796 | 464 |
| लद्दाख | 10 | - | 16 | 3 |
| लक्षद्वीप | 1 | 1 | 1 | 1 |
| मध्य प्रदेश | 1261 | 29 | 1078 | 1021 |
| महाराष्ट्र | 519 | 21 | 8639 | 1047 |
| मणिपुर | 154 | 4 | 22 | 10 |
| मेघालय | 87 | 1 | 36 | 8 |
| मिजोरम | 90 | 1 | 19 | 3 |
| नागालैंड | 74 | 1 | 20 | 9 |
| ओडिशा | 225 | 29 | 707 | 526 |
| पुदुचेरी | 16 | - | 232 | 15 |
| पंजाब | 535 | 2 | 882 | 350 |
| राजस्थान | 1378 | 9 | 921 | 1604 |
| सिक्किम | 37 | - | 67 | 4 |
| तमिलनाडु | 453 | 9 | 2724 | 504 |
| तेलंगाना | 110 | 6 | 1243 | 303 |
| दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 9 | 2 | 123 | 4 |
| त्रिपुरा | 108 | 2 | 95 | 22 |
| उत्तर प्रदेश | 2397 | 47 | 6171 | 3282 |
| उत्तराखंड | 178 | 8 | 696 | 184 |
| पश्चिम बंगाल | 232 | 8 | 1244 | 309 |

**एनएपीएस स्कीम के अंतर्गत आंकड़े प्रतिष्ठानों की संख्या के लिए हैं।*

*^सीटीएस स्कीम के अंतर्गत, आंकड़े सरकारी और निजी दोनों सहित कुल आईटीआई की संख्या से संबंधित हैं।*

अनुबंध-I (जारी)

**पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख स्कीमों के अंतर्गत प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा**

**पीएमकेवीवाई**

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | वित्तीय वर्ष 21-22 | वित्तीय वर्ष 22-23 | वित्तीय वर्ष 23-24 |
|---|---|---|---|
| अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 613 | 310 | 648 |
| आंध्र प्रदेश | 13,199 | 5,798 | 32,421 |
| अरुणाचल प्रदेश | 8,884 | 667 | 4,152 |
| असम | 24,517 | 8,721 | 38,189 |
| बिहार | 47,643 | 12,213 | 23,583 |
| चंडीगढ़ | 893 | 491 | 319 |
| छत्तीसगढ | 9,495 | 4,356 | 8,367 |
| दिल्ली | 19,965 | 2,262 | 10,686 |
| गोवा | 604 | 176 | 183 |
| गुजरात | 35,001 | 6,503 | 19,975 |
| हरियाणा | 18,191 | 8,963 | 27,365 |
| हिमाचल प्रदेश | 8,724 | 3,539 | 5,348 |
| जम्मू और कश्मीर | 21,339 | 7,352 | 28,875 |
| झारखंड | 34,233 | 5,302 | 8,796 |
| कर्नाटक | 23,153 | 8,410 | 13,025 |
| केरल | 12,968 | 5,673 | 8,802 |
| लद्दाख | 731 | 246 | 445 |
| लक्षद्वीप | 120 | - | - |
| मध्य प्रदेश | 46,659 | 21,345 | 34,833 |
| महाराष्ट्र | 39,864 | 14,913 | 35,257 |
| मणिपुर | 6,424 | 1,146 | 2,879 |
| मेघालय | 3,406 | 1,245 | 2,502 |
| मिजोरम | 4,742 | 1,162 | 3,533 |
| नागालैंड | 4,184 | 1,803 | 3,830 |
| ओडिशा | 12,645 | 12,116 | 21,428 |
| पुदुचेरी | 1,622 | 689 | 1,556 |
| पंजाब | 18,539 | 7,568 | 11,816 |
| राजस्थान | 38,511 | 9,232 | 23,551 |
| सिक्किम | 1,322 | 381 | 2,802 |
| तमिलनाडु | 29,057 | 8,029 | 34,507 |
| तेलंगाना | 13,107 | 8,040 | 15,390 |
| दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 252 | 31 | 301 |
| त्रिपुरा | 4,490 | 1,608 | 5,081 |
| उत्तर प्रदेश | 69,015 | 25,568 | 71,530 |
| उत्तराखंड | 10,522 | 2,942 | 11,584 |
| पश्चिम बंगाल | 31,406 | 12,370 | 25,766 |

**<u>एनएपीएस</u> :** नियोजित प्रशिक्षुओं की संख्या

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | वित्त वर्ष 21-22 | वित्त वर्ष 22-23 | वित्तीय वर्ष-23-24 |
|---|---|---|---|
| अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 9 | 41 | 48 |
| आंध्र प्रदेश | 15,722 | 16,203 | 21,701 |
| अरुणाचल प्रदेश | 18 | 42 | 65 |
| असम | 14,006 | 9,661 | 8,173 |
| बिहार | 6,476 | 5,543 | 5,317 |
| चंडीगढ़ | 813 | 671 | 1,227 |
| छत्तीसगढ | 2,660 | 4,881 | 5,259 |
| दिल्ली | 17,799 | 15,818 | 15,956 |
| गोवा | 3,432 | 4,406 | 11,882 |
| गुजरात | 69,567 | 76,226 | 83,955 |
| हरियाणा | 42,343 | 62,865 | 66,720 |
| हिमाचल प्रदेश | 5,669 | 6,825 | 10,212 |
| जम्मू और कश्मीर | 832 | 989 | 859 |
| झारखंड | 8,258 | 9,152 | 11,882 |
| कर्नाटक | 42,084 | 58,523 | 78,456 |
| केरल | 8,975 | 11,275 | 13,104 |
| लद्दाख | 18 | 28 | 66 |
| लक्षद्वीप | 4 | 9 | 6 |
| मध्य प्रदेश | 17,093 | 21,205 | 22,707 |
| महाराष्ट्र | 1,46,865 | 1,85,999 | 2,63,245 |
| मणिपुर | 90 | 32 | 18 |
| मेघालय | 117 | 181 | 212 |
| मिजोरम | 4 | 4 | 12 |
| नागालैंड | 27 | 22 | 15 |
| ओडिशा | 8,296 | 10,458 | 10,755 |
| पुदुचेरी | 1,090 | 1,343 | 2,469 |
| पंजाब | 11,659 | 15,361 | 14,761 |
| राजस्थान | 9,473 | 15,204 | 18,230 |
| सिक्किम | 308 | 202 | 298 |
| तमिलनाडु | 49,929 | 72,311 | 1,01,553 |
| तेलंगाना | 38,454 | 31,821 | 37,774 |
| दादरा और नगर हवेली और दमन तथा दीव | 1,282 | 1,006 | 2,878 |
| त्रिपुरा | 244 | 368 | 383 |
| उत्तर प्रदेश | 38,039 | 56,946 | 71,504 |
| उत्तराखंड | 9,986 | 16,436 | 21,058 |
| पश्चिम बंगाल | 18,791 | 26,109 | 29,538 |

**<u>जेएसएस</u> :**

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | वित्तीय वर्ष 21-22 | वित्तीय वर्ष 22-23 | वित्तीय वर्ष 23-24 |
|---|---|---|---|
| अंडमान और निकोबार | 900 | 1800 | 1800 |
| आंध्र प्रदेश | 11699 | 16200 | 10800 |
| असम | 9139 | 12600 | 9000 |
| बिहार | 28769 | 56594 | 37786 |
| चंडीगढ़ | 1600 | 2700 | 1800 |
| छत्तीसगढ | 18151 | 37777 | 23376 |
| दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 2379 | 3255 | 3179 |
| दिल्ली | 5440 | 8099 | 5398 |
| गोवा | 1740 | 2700 | 1800 |
| गुजरात | 19228 | 23917 | 14160 |
| हरियाणा | 8939 | 10728 | 7181 |
| हिमाचल प्रदेश | 8424 | 28244 | 18630 |
| जम्मू और कश्मीर | 2396 | 500 | 1020 |
| झारखंड | 9964 | 25220 | 22439 |
| कर्नाटक | 18735 | 31492 | 21532 |
| केरल | 16148 | 24300 | 16198 |
| लद्दाख | 0 | 600 | 212 |
| लक्षद्वीप | 0 | 1481 | 1772 |
| मध्य प्रदेश | 52222 | 70259 | 49089 |
| महाराष्ट्र | 38479 | 52934 | 37273 |
| मणिपुर | 6285 | 10278 | 7197 |
| मेघालय | 0 | 1660 | 1800 |
| | | | |
| | | | |
| मिजोरम | 900 | 2472 | 1800 |
| नागालैंड | 1812 | 1999 | 2631 |
| ओडिशा | 40635 | 71765 | 50828 |
| पंजाब | 3567 | 4138 | 3560 |
| राजस्थान | 12443 | 20651 | 14831 |
| तमिलनाडु | 14045 | 19784 | 14780 |
| तेलंगाना | 10398 | 15639 | 10300 |
| त्रिपुरा | 2610 | 5397 | 3600 |
| उत्तर प्रदेश | 88648 | 122510 | 84573 |
| उत्तराखंड | 12433 | 20687 | 14393 |
| पश्चिम बंगाल | 13868 | 17904 | 12599 |

**<u>सीटीएस</u> :** पिछले तीन शैक्षणिक सत्रों में आईटीआई में नामांकन

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | नामांकित (2021) | नामांकित (2022) | नामांकित (2023) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 531 | 450 | 481 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 45,612 | 48,110 | 50,568 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 497 | 674 | 735 |
| 4 | असम | 3,500 | 3,548 | 5,325 |
| 5 | बिहार | 1,10,399 | 90,377 | 1,25,577 |
| 6 | चंडीगढ़ | 910 | 907 | 1,083 |
| 7 | छत्तीसगढ | 22,320 | 20,816 | 24,226 |
| 8 | दिल्ली | 8,774 | 9,261 | 10,266 |
| 9 | गोवा | 2,080 | 2,126 | 2,256 |
| 10 | गुजरात | 81,236 | 84,648 | 98,454 |
| 11 | हरियाणा | 49,032 | 45,161 | 54,944 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 20,332 | 22,691 | 23,437 |
| 13 | जम्मू और कश्मीर | 8,062 | 8,130 | 8,504 |
| 14 | झारखंड | 29,760 | 35,573 | 40,103 |
| 15 | कर्नाटक | 66,238 | 73,019 | 78,663 |
| 16 | केरल | 35,493 | 34,741 | 33,222 |
| 17 | लद्दाख | 171 | 326 | 368 |
| 18 | लक्षद्वीप | 374 | 303 | 360 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 63,306 | 69,194 | 73,223 |
| 20 | महाराष्ट्र | 1,12,997 | 1,21,884 | 1,28,333 |
| 21 | मणिपुर | 108 | 668 | 812 |
| 22 | मेघालय | 508 | 738 | 714 |
| 23 | मिजोरम | 256 | 334 | 396 |
| 24 | नागालैंड | 186 | 267 | 240 |
| 25 | ओडिशा | 57,401 | 54,005 | 65,801 |
| 26 | पुदुचेरी | 689 | 737 | 796 |
| 27 | पंजाब | 39,992 | 39,986 | 43,994 |
| 28 | राजस्थान | 95,342 | 99,263 | 1,09,595 |
| 29 | सिक्किम | 181 | 424 | 312 |
| 30 | तमिलनाडु | 28,496 | 35,078 | 41,168 |
| 31 | तेलंगाना | 27,183 | 26,480 | 29,557 |
| 32 | दादरा और नगर हवेली और दमनंद दीव | 443 | 666 | 908 |
| 33 | त्रिपुरा | 1,603 | 2,470 | 2,462 |
| 34 | उतार प्रदेश | 2,73,714 | 2,69,106 | 3,33,601 |
| 35 | उत्तराखंड | 8,918 | 10,807 | 11,542 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 29,207 | 37,711 | 44,221 |

अनुबंध- II

2019-20 से 2021-22 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार नियुक्त उम्मीदवारों की संख्या

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | वर्ष 2019-20 | वर्ष 2020-21 | वर्ष 2021-22 | कुल |
|---|---|---|---|---|
| अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 124 | 0 | 0 | 124 |
| आंध्र प्रदेश | 25,486 | 7,555 | 7,100 | 40141 |
| अरुणाचल प्रदेश | 2,943 | 2,774 | 5,517 | 11234 |
| असम | 19,374 | 9,926 | 11,754 | 41054 |
| बिहार | 35,336 | 11,493 | 15,841 | 62670 |
| चंडीगढ़ | 1,661 | 1,851 | 402 | 3914 |
| छतीसगढ | 9,724 | 1,222 | 568 | 11514 |
| दिल्ली | 11,881 | 7,510 | 3,742 | 23133 |
| गोवा | 198 | 17 | 47 | 262 |
| गुजरात | 32,230 | 10,911 | 2,073 | 45214 |
| हरियाणा | 30,884 | 7,957 | 4,008 | 42849 |
| हिमाचल प्रदेश | 10,101 | 2,021 | 1,580 | 13702 |
| जम्मू और कश्मीर | 12,203 | 7,556 | 2,126 | 21885 |
| झारखंड | 9,186 | 1,606 | 2,276 | 13068 |
| कर्नाटक | 20,845 | 5,030 | 6,119 | 31994 |
| केरल | 8,263 | 1,213 | 3,094 | 12570 |
| लद्दाख | 877 | 67 | 0 | 944 |
| लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मध्य प्रदेश | 56,623 | 16,010 | 12,649 | 85282 |
| महाराष्ट्र | 23,973 | 8,830 | 7,089 | 39892 |
| मणिपुर | 6,127 | 4,661 | 3,064 | 13852 |
| मेघालय | 3,166 | 1,604 | 4,871 | 9641 |
| मिजोरम | 6,112 | 1,438 | 1,627 | 9177 |
| नागालैंड | 879 | 2,836 | 763 | 4478 |
| ओडिशा | 19,188 | 3,704 | 4,211 | 27103 |
| पुदुचेरी | 4,684 | 2,128 | 748 | 7560 |
| पंजाब | 29,599 | 17,251 | 9,537 | 56387 |
| राजस्थान | 34,135 | 17,189 | 14,328 | 65652 |
| सिक्किम | 1,313 | 1,479 | 893 | 3685 |
| तमिलनाडु | 34,263 | 6,016 | 3,865 | 44144 |
| तेलंगाना | 20,059 | 6,724 | 4,941 | 31724 |
| दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 1,638 | 230 | 32 | 1900 |
| त्रिपुरा | 4,035 | 1,420 | 2,468 | 7923 |
| उत्तर प्रदेश | 84,198 | 29,901 | 17,547 | 131646 |
| उत्तराखंड | 17,304 | 9,026 | 3,949 | 30279 |
| पश्चिम बंगाल | 29,777 | 6,946 | 5,333 | 42056 |

**अनुबंध- III**

**पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमकेवीवाई और जेएसएस के अंतर्गत जारी धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा**

**पीएमकेवीवाई**

**(करोड़ में)**

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | वित्तीय वर्ष 21-22 | वित्तीय वर्ष 22-23 | वित्तीय वर्ष 23-24 | कुल |
|---|---|---|---|---|
| अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 0.59 | 0.08 | 0.02 | 0.69 |
| आंध्र प्रदेश | 9.55 | 3.16 | 35.71 | 48.42 |
| अरुणाचल प्रदेश | 10.11 | 1.50 | 5.35 | 16.95 |
| असम | 53.46 | 11.01 | 43.28 | 107.75 |
| बिहार | 55.80 | 15.82 | 31.97 | 103.59 |
| चंडीगढ़ | 0.49 | 0.26 | 0.61 | 1.36 |
| छत्तीसगढ | 3.98 | 2.49 | 13.02 | 19.48 |
| दिल्ली | 0.18 | 0.01 | 0.26 | 0.46 |
| गोवा | 3.52 | 3.60 | 12.64 | 19.76 |
| गुजरात | 0.03 | 0.06 | 0.23 | 0.32 |
| हरियाणा | 9.04 | 3.36 | 16.28 | 28.68 |
| हिमाचल प्रदेश | 8.67 | 3.93 | 26.91 | 39.51 |
| जम्मू और कश्मीर | 5.44 | 2.81 | 9.41 | 17.66 |
| झारखंड | 16.52 | 16.80 | 34.91 | 68.23 |
| कर्नाटक | 9.45 | 4.95 | 13.30 | 27.71 |
| केरल | 11.69 | 3.47 | 18.39 | 33.56 |
| लद्दाख | 6.63 | 4.64 | 11.23 | 22.50 |
| लक्षद्वीप | - | - | - | - |
| मध्य प्रदेश | 45.03 | 19.24 | 51.25 | 115.52 |
| महाराष्ट्र | 25.45 | 7.10 | 43.21 | 75.76 |
| मणिपुर | 7.63 | 2.05 | 7.05 | 16.73 |
| मेघालय | 2.92 | 0.46 | 2.96 | 6.34 |
| मिजोरम | 3.10 | 0.81 | 3.06 | 6.97 |
| नागालैंड | 1.74 | 3.09 | 3.88 | 8.72 |
| ओडिशा | 14.50 | 5.41 | 20.21 | 40.12 |
| पुदुचेरी | 1.28 | 0.49 | 2.67 | 4.44 |
| पंजाब | 10.91 | 5.19 | 27.27 | 43.36 |
| राजस्थान | 35.29 | 10.40 | 63.47 | 109.16 |
| सिक्किम | 1.65 | 0.85 | 3.15 | 5.65 |
| तमिलनाडु | 11.04 | 5.40 | 41.52 | 57.95 |
| तेलंगाना | 9.39 | 3.67 | 24.47 | 37.53 |
| दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 8.52 | 1.60 | 5.72 | 15.84 |
| त्रिपुरा | 66.64 | 19.07 | 97.60 | 183.32 |
| उत्तर प्रदेश | 6.73 | 4.79 | 13.75 | 25.27 |
| उत्तराखंड | 18.36 | 6.11 | 25.10 | 49.58 |
| पश्चिम बंगाल | 0.26 | 0.34 | 1.01 | 1.61 |

***नोट:*** *- टीपी के अलावा अन्य भुगतान सभी राज्यों को आनुपातिक रूप से विभाजित किया गया है। उपरोक्त संख्याएं अंतिम निपटान के अधीन हैं ।*

**जेएसएस :**

**(करोड़ में)**

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | वित्त वर्ष 2021-22 | वित्त वर्ष 2022-23 | वित्त वर्ष 2023-4 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 1.45 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 3.03 | 3.31 | 3.36 | 9.70 |
| 3 | असम | 2.91 | 2.74 | 2.74 | 8.40 |
| 4 | बिहार | 9.25 | 11.90 | 11.69 | 32.84 |
| 5 | चंडीगढ़ | 0.42 | 0.52 | 0.56 | 1.51 |
| 6 | छत्तीसगढ | 6.70 | 7.61 | 7.34 | 21.65 |
| 7 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 0.82 | 0.95 | 0.96 | 2.73 |
| 8 | दिल्ली | 1.44 | 1.68 | 1.68 | 4.81 |
| 9 | गोवा | 0.48 | 0.56 | 0.55 | 1.59 |
| 10 | गुजरात | 5.12 | 4.79 | 4.48 | 14.39 |
| 11 | हरियाणा | 2.45 | 2.15 | 2.20 | 6.81 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 4.77 | 5.71 | 5.72 | 16.20 |
| 13 | जम्मू और कश्मीर | 1.15 | 0.13 | 0.25 | 1.53 |
| 14 | झारखंड | 5.32 | 5.72 | 6.31 | 17.35 |
| 15 | कर्नाटक | 5.60 | 6.51 | 6.63 | 18.74 |
| 16 | केरल | 4.17 | 5.01 | 5.04 | 14.21 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | लद्दाख | 0.57 | 0.46 | 0.25 | 1.28 |
| 18 | लक्षद्वीप | 0.20 | 0.50 | 0.46 | 1.16 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 14.28 | 14.94 | 15.03 | 44.25 |
| 20 | महाराष्ट्र | 10.17 | 11.31 | 11.46 | 32.94 |
| 21 | मणिपुर | 1.94 | 2.23 | 2.18 | 6.35 |
| 22 | मेघालय | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 1.20 |
| 23 | मिजोरम | 0.45 | 0.56 | 0.52 | 1.53 |
| 24 | नागालैंड | 0.95 | 0.64 | 0.63 | 2.21 |
| 25 | ओडिशा | 13.23 | 15.38 | 15.19 | 43.80 |
| 26 | पंजाब | 0.75 | 1.05 | 0.99 | 2.79 |
| 27 | राजस्थान | 4.06 | 4.29 | 4.52 | 12.86 |
| 28 | तमिलनाडु | 3.19 | 4.06 | 4.32 | 11.57 |
| 29 | तेलंगाना | 2.74 | 3.20 | 3.24 | 9.17 |
| 30 | त्रिपुरा | 0.84 | 1.07 | 1.02 | 2.93 |
| 31 | उत्तर प्रदेश | 22.99 | 25.79 | 26.03 | 74.82 |
| 32 | उत्तराखंड | 3.46 | 4.64 | 4.34 | 12.43 |
| 33 | पश्चिम बंगाल | 3.54 | 4.25 | 3.69 | 11.48 |

*****